संख्या-04/2020/सा-3-50/दस-2020-308-2016

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
वित्त विभाग, उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेशन निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 20 जनवरी, 2020

**विषय:-** प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की दर में पुनरीक्षण के फलस्वरूप चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के सेवानिवृत्त राजकीय चिकित्सकों/ दन्त शल्य चिकित्सकों की पेंशन /पारिवारिक पेंशन का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-14466 /पे0नि0/ मार्गदर्शन/ 2019 दिनांक 02-12-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-23/2019/सा-3-648/दस-2019-308/2016 दिनांक 09-08-2019 जो प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (एन0पी0ए0) की दरों में संशोधन के फलस्वरूप वर्ष 2016 के पूर्व एवं 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त राजकीय चिकित्सकों, जिन्हें एन0पी0ए0 की सुविधा अनुमन्य है, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में है, के क्रम में शासन का मार्गदर्शन चाहा गया है।

2- आपके उपर्युक्त पत्र में की गयी जिज्ञासा के क्रम में स्पष्ट किया जाना है कि शासनादेश दिनांक 09-08-2019 से आच्छादित श्रेणी के पेंशनरों/कार्मिकों की संशोधित पेंशन /पारिवारिक पेंशन की अधिकतम सीमा उक्त शासनादेश के प्रस्तर- 4(।।।) एवं प्रस्तर-5(।।।) के अनुसार होगी।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कृपया संबधित चिकित्सकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण/संशोधन तद्नुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-04/2020/सा-3-50(1)/दस-2020-308-2016, तददिनंक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्धितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
4- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
5- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6- महाबिन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7- निदेशक, पेंशन, पेंशन निदेशालय, 8वॉ तल, इन्दिरा भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
8- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
9- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
11- समस्त अपर/ संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
12- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
पुष्पराज
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in